

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

### साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. ऑनलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और प्राथमिकता क्रम दो प्रतियों में संलग्न करें। आवेदन पत्र के तुरन्त बाद अटेस्टेशन फॉर्म की पूर्ति कर संलग्न करें तथा प्रत्येक प्रति के साथ प्राथमिकता क्रम की प्रति साथ लगावें।
2. सभी मूल दस्तावेज साथ लाने हैं तथा विस्तृत आवेदन पत्र के ऑनलाईन शुल्क रूप में जमा 50/-की रसीद भी संलग्न करें तथा दो फोटो साथ लावें।
3. दस्तावेज के रूप में सैकण्डरी/सी.सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर व अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिकाएँ और सर्टिफिकेट/उपाधि संलग्न करें।
4. यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवा प्रमाण पत्र और एन.ओ.सी. संलग्न करें।
5. निम्नांकित वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें :-
  - (A) NGE/RGE- इस वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एनओसी भी संलग्न करें।
  - (B) TSP- इस वर्ग के अभ्यर्थी दिनांक 04.07.16 के पश्चात जारी/नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
  - (C) EX- इस वर्ग के अभ्यर्थी एक्स-सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ कार्ड संलग्न करें। यदि कही सेवारत नहीं हैं, तो दोहरे लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र संलग्न करें। यदि सेवानिवृत्ति के उपरान्त कहीं सेवारत हैं तो नियुक्ति के समय नियोक्ता प्राधिकारी को कार्यग्रहण के समय आवेदन की सूचना एवं विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र और एन.ओ.सी. संलग्न करें। सेना द्वारा जारी एन.ओ.सी. के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एन.ओ.सी. संलग्न करें।
  - (D) DC- इस वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एनओसी भी संलग्न करें।
  - (E) DV- इस वर्ग के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री एवं पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
  - (F)WD- इस वर्ग के अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक दस्तावेज-मूल निवास/विवाह पंजीयन/राशनकार्ड अथवा अन्य कोई प्रामाणिक आई.डी. संलग्न करें। पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
  - (G) SC/ST/OBC/MBC- इन वर्गों के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। OBC/MBC वर्ग के अभ्यर्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.09.2015 के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जिन अभ्यर्थियों के अप्रैल 2018 के बाद और अप्रैल 2019 से पहले प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, वे अभ्यर्थी आगामी 01 वर्ष/02 वर्ष का नॉनक्रीमीलेयर में होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. अभ्यर्थी स्वयं के आवेदन में अंकित स्वयं/पिता/माता का नाम और शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित नाम का मिलान कर लें। जिन अभ्यर्थियों के स्वयं/पिता का नाम/माता का नाम में स्पेलिंग/सरनेम में अन्तर/त्रुटि है, वे अभ्यर्थी आवश्यक शपथ पत्र/गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी साथ लावें।